

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या
12/40/2024

रजिस्टर्ड नंबर
2024/103

प्रवेश तिथि
30-10-2024

निर्णय दिनांक
26.12.2024

01. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री रामपाल पुत्र श्री मनफूल सैनी, निवासी प्लॉट नं० 370 के सामने, स्कीम नं० 10ए, अलवर ।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत ।

उपस्थित:—

1. विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी

—विभागीय प्रतिनिधि

—:: निर्णय ::—

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 20.09.2024 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, श्री कृष्ण कुमार बाँयला, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग की जांच हेतु श्री रामपाल पुत्र श्री मनफूल सैनी, निवासी प्लॉट नं० 370 के सामने, स्कीम नं० 10ए, अलवर की शैलू चाट भण्डार, अलवर पर स्थित दुकान पर पहुंचे। मौके पर श्री रामपाल पुत्र श्री मनफूल सैनी, निवासी प्लॉट नं० 370 के सामने, स्कीम नं० 10ए, अलवर उपस्थित मिले। श्री रामपाल पुत्र श्री मनफूल सैनी की दुकान पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिला। जिसका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। श्री रामपाल पुत्र श्री मनफूल सैनी द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री रामपाल के द्वारा घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को मै० गोविन्द गैस, अलवर के प्रतिनिधि श्री राजू सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।


अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी/अप्रार्थी अपनी दुकान (ठेली) पर कोमर्शियल सिलेण्डर का उपयोग करता है तथा वैद्य कोमर्शियल गैस कनेक्शन अपने नाम से लिया हुआ है। प्रार्थी/अप्रार्थी ने घरेलू गैस एच०पी० कंपनी का नं० 507166 लिया हुआ है। घर पर सिलेण्डर खत्म होने पर गैस सिलेण्डर वाले से भरा गैस सिलेण्डर लाया था जो लाकर ठेली पर एक तरफ रख दिया ताकि घर जाने पर सिलेण्डर घर ले जा सके। प्रार्थी उक्त घरेलू सिलेण्डर का कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं कर रहा था व ठेली पर रखे गैस सिलेण्डर को जांच करने वाले उठा लाए। प्रार्थी ने अपने घरेलू सिलेण्डर

का कोई दुरुपयोग नहीं किया है। अतः जवाब नोटिस पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के विरुद्ध नोटिस की कार्यवाही मन्सूख फरमाई जाकर प्रार्थी को नोटिस के भार से मुक्त फरमाया जावे तथा प्रार्थी को जप्तशुदा सिलेण्डर वापिस दिलवाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का कथन है कि वह अपनी दुकान (ढाबा) पर कोमर्शियल सिलेण्डर का उपयोग करता है एवं वैद्य कोमर्शियल गैस कनेक्शन अपने नाम से लिया हुआ है तथा अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर का कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं किया गया। अप्रार्थी ने अपने घरेलू सिलेण्डर का कोई दुरुपयोग नहीं किया है। प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर श्री रामपाल पुत्र श्री मनफूल सैनी की दुकान पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिला, जिसका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। श्री रामपाल पुत्र श्री मनफूल सैनी द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री रामपाल के द्वारा घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 व आरपीपीएल 1990 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6-ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6-ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)